...ालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
...सीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

...सल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
37 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	10.06.2019	06.01.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

वनाम

1–श्री नीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री भॅवरीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चर्तुवेदी मोहल्ला वार्ड नं. 6 अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स विश्वनाथ प्रोविजन स्टोर बस स्टेण्ड अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक

2– मैसर्स विश्वनाथ प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक

3–श्री विशाल गुप्ता निवासी कर्मचारी कॉलोनी, बजरिया, सवाईमाधोपुर प्रोपरायटर मैसर्स विशाल एन्टरप्राईजेज 15 अग्रसेन सदन मानटाउन, बजरिया सवाईमाधोपुर राज.

4– मैसर्स विशाल एन्टरप्राईजेज 15 अग्रसेन सदन मानटाउन, बजरिया सवाईमाधोपुर राज.

5–श्री विरल कोठारी पुत्र श्री विनोद राय कोठारी प्रोपरायटर मैसर्स वीर एन्टरप्राईजेज 107–बी, न्यू ग्रेन मण्डी, ऐरोड्राम सर्किल, काली मस्जिद, जैन मन्दिर के सामने, कोटा राज.

6– मैसर्स वीर एन्टरप्राईजेज 107–बी, न्यू ग्रेन मण्डी, ऐरोड्राम सर्किल, काली मस्जिद, जैन मन्दिर के सामने, कोटा राज.

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री गजेन्द्र शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

दिनांक 06.01.2022

:–<u>निर्णय</u>–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.02.2019 को समय 04.15 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स विश्वनाथ प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री नीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री भॅवरीलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी चर्तुवेदी मोहल्ला वार्ड नं. 6 अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स [illegible] प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का [illegible] हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य [illegible] स्वीकार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:52:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे अचार **मसाला मिक्स स्पाईसेस (सुरूचि ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 02 एंव पैकिंग की दिनांक जनवरी 2019,अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री नीरज कुमार शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता नीरज कुमार शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 200—200 ग्राम के 60 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे **अचार मसाला मिक्स स्पाईसेस (सुरूचि ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 200—200 ग्राम के 12 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री नीरज कुमार शर्मा को रू0 420/—अक्षरे चार सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **अचार मसाला मिक्स स्पाईसेस (सुरूचि ब्राण्ड)** 200—200 ग्राम के 12 मूल पैक ज्यो का त्यो तीन—तीन नग के बराबर—बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I—2132 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—2132 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. नीरज कुमार शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री नीरज कुमार शर्मा ने मौके पर **अचार मसाला मिक्स स्पाईसेस (सुरूचि ब्राण्ड)** का बतोर वारंटी बिल मैसर्स विशाल एन्टरप्राईजेज 15 अग्रसेन सदन मानटाउन, बजरिया सवाईमाधोपुर राज.का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 1689/2018—19 दिनांक 12.02.2019 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स विशाल एन्टरप्राईजेज 15 अग्रसेन सदन मानटाउन, बजरिया सवाईमाधोपुर राज.से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स वीर एन्टरप्राईजेज 107—बी, न्यू ग्रेन मण्डी, ऐरोड्राम सर्किल, काली मस्जिद, जैन मन्दिर के सामने, कोटा राज.का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 18/एसजेड—000674 दिनांक 07.02.2019 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:52:51 IST
Reason: Self Attested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/756 दिनांक 26.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/458/एक्ट/2019/419 दिनांक 14.03.2019 अनुसार नीरज कुमार शर्मा से वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नमूना जांच विक्रय किया गया **अचार मसाला मिक्स स्पाईसेस (सुरूचि ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **अचार मसाला मिक्स स्पाईसेस (सुरूचि ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **अचार मसाला मिक्स स्पाईसेस (सुरूचि ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **अचार मसाला मिक्स स्पाईसेस (सुरूचि ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री नीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री भॅवरीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चर्तुवेदी मोहल्ला वार्ड नं. 6 अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स विश्वनाथ प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री विशाल गुप्ता निवासी कर्मचारी कॉलोनी, बजरिया, सवाईमाधोपुर प्रोपरायटर मैसर्स विशाल एन्टरप्राईजेज 15 अग्रसेन सदन मानटाउन, बजरिया सवाईमाधोपुर राज. पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री विरल कोठारी पुत्र श्री विनोद राय कोठारी प्रोपरायटर मैसर्स वीर एन्टरप्राईजेज 107–बी, न्यू ग्रेन मण्डी, ऐरोड्राम सर्किल, काली मस्जिद, जैन मन्दिर के सामने, कोटा राज. पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.01.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:52:51 IST
Reason: SelfAttested

6.1.2022
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक